जल सरंक्षण एंव वर्षा संचयन अभियान, गौतमबुद्ध नगर।

''जल सरंक्षण एक्शन प्लान''

1. **<u>जनपद स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन</u>**– शासनादेश संख्या 1474, दिनांक 21.06.2019 के अनुक्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन कर लिया गया है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी, उपनिदेश कृषि, अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, सहायक अभियन्ता, लघु सिचाई, प्रभागीय वनाधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, पर्यावरण विभाग के अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारी एंव स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी को सम्मिलित किया गया है। और नियमानुसार समिति की बैठके की जा रही है।

2. **<u>विभागवार नोडल अधिकारियों का नामांकन</u>**– जल सरंक्षण एंव वर्षा जल संचायन हेतु जारी मुख्य सचिव उ.प्र. शासन के पत्र संख्या दिनांक 20.06.2019 के अनुक्रम में समस्त लाईन विभागों के कार्यो का नैत्यिक निरीक्षण एंव जिला स्तरीय समिति के समक्ष रिपोर्टिंग हेतु प्रत्येक विभाग से एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

3. **<u>पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार</u>**– जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों नगर पंचायतों, नगर पालिका एंव औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में पुराने तालाबों का चिन्हांकन भू–अभिलेख से करते हुए उनके खुदाई/जीर्णोद्धार हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं से डबटेलिंग एंव श्रमदान के माध्यम से 15 जुलाई 2019 के पूर्व योजना तैयार की जा रही है।

4. **<u>जन जागरूकता कार्यक्रम</u>**– जलाशयों के सरंक्षण एंव जल के कम से कम उपयोग को बढावा देने के लिए समुदाय में सूचना शिक्षा प्रसार तकनीक से लोगों को जागरूक किया जायेगा। इसके लिए स्कूलों एंव कालेजों में शिक्षा विभाग के माध्यम से रेली, गोष्ठी, पेन्टिंग प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन एंव नुक्कड नाटकों का आयोजन किया जायेगा। दिनांक 01.07.2019 को स्कूली छात्रों एंव अध्यापकों के द्वारा रैली निकाली जायेगी एंव सार्वजनिक स्थानों पर दीवार लेखन, होर्डिग इत्यादि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जायेगा।

5. **<u>भूगर्भ जल के न्यूनतम दोहन के सम्बन्ध में जागरूकता एंव नियंत्रण</u>**– जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों एंव नगरीय क्षेत्र में डीप बोरवेल के सधनीकरण को हतोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जायेगा एंव जल के अपव्यय को रोकने हेतु लोगो का संवेदीकरण किया जायेगा। इसके लिए स्वयं सेवी संस्थाओं, उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं एंव मॉस कम्यूनिकेशन से जुडे हुए लोगो का सहयोग दिया जायेगा। साथ ही भूगर्भ जल दोहन के सम्बन्ध में कानूनों की जानकारी देते हुए जल अपव्यय को नियंत्रित किया जायेगा।

6. **<u>कृषकों को छोटे तालाबों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना</u>**– जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को अपनी निजी भूमिपर छोटे तालाबों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से जोडते हुए किसानों को अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया जायेगा जैसे– तालाब में मत्स्य पालन करना।

7. **<u>सोख्ता गड्डा वाले शौचालयों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन</u>**– जनपद गौतमबुद्ध नगर में पक्के मकानों एंव आर.सी.सी. गलियों का बाहुल्य है, जिसके कारण प्रायः लोग फलश शौचालय का निर्माण कराना पसंद करते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति शौच में 20 से 30 लीटर पानी बर्बाद होता है, जबकि सोखता गडड्ा शौचालय में 5 लीटर पानी में एक व्यक्ति की शौच क्रिया पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार जल सरंक्षण के लिए सोखता गड्डा शौचालय के निर्माण को प्रोत्साहित किया जायेगा।

8. **<u>पेयजल के सरंक्षण हेतु उपाय</u>**– जल के केवल आवश्यकतानुसार उपयोग को बढावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया जायेगा तथा प्रोत्साहित किया जायेगा। तथा पाईप लाईन के माध्यम से प्रवाहित जल के रिसाव को रोके जाने के उपाय किये जायेगें। बडे मकानों एंव सोसाईटी में बने हुए लॉनों की सिचाई के तुलना में पेयजल की पहुँच को प्राथमिकता देने के लिए कार्यक्रम किये जायेगें।

9. **<u>नहरों से सिल्ट निष्कासन</u>**– भूगर्भ जल पुर्नभरण के लिए बडी नहरे एक अच्छा स्रोत हैं किन्तु सिल्ट के जमान के कारण नहर मे प्रवाहित जल का रिसाव भूगर्भ मे नही हो पाता। इसके लिए वार्षिक/द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार कर समस्त नहरो की सफाई की जायेगी।

10. **<u>सघन वृक्षारोपण</u>**– वर्षा स्तर को बढाने एंव जल भराव वाले क्षेत्रों में वाष्पन में कमी लाने के उददेश्य से सघन वृक्षारोपण किया जायेगा। इसके लिए सडकों, सरकारी भूमि एंव जल भराव क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जा चुका है।

<u>वर्षा जल संचयन हेतु एक्शन प्लान</u>

1. भूगर्भ जल पुनर्भरण हेतु रेन वाटर हारवेस्टिंग के लिए बृहद योजना तैयार की गई है, जिसमें 200 वर्ग मी० के सभी आवासीय भूखण्डों में वर्षा जल हारवेस्टिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराई जायेगी। विकास प्राधिकरणों द्वारा आवासीय नक्शें में वाटर हारवेस्टिंग न होने पर नक्शा पास नही किया जायेगा। बोर ब्लास्टिंग, हाईड्रो फ्रैक्चरिंग एंव नलकूपों के फ्लशिंग को प्रोत्साहित किया जायेगा।
2. **ग्रे–वाटर का उपयोग**– जनपद में भूगर्भ जल पीने के योग्य न होने कारण प्रायः हर घर में आर०ओ०फिल्टर स्थापित है और बहुतायत संख्या में वाटर प्यूरिफाईगं प्लान्ट लगाये गये है, जिसमें 3 चौथाई मात्रा में जल नालियों में बहा दिया जाता है। उक्त ग्रे–वाटर में कुछ सुधार कर उसका उपयोग घरेरू साफ सफाई, कृषि एंव बागवानी में करने हेतु लोगो को जागरूक एंव प्रोत्साहित किया जायेगा। वाटर प्यूरिफिकेशन के बडे प्लान्टों पर भूगर्भ जल पुर्नभरण हेतु अनिवार्य रूप से व्यवस्था करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।